संघ का मंत्रीपरिषद

योग्यता :- ① दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो।

② यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी मन्त्री पद धारण कर सकता है।
लेकिन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्यता 6 माह के भीतर ग्रहण करना होगा।

A. R. चौहान VS. पंजाब :- एक व्यक्ति एक कार्यकाल में बिना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण किए एक ही बार मंत्री पद धारण कर सकेगा।
यदि उसी कार्यकाल में पुनः मंत्री बनाना है, तो पहले सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा

मंत्रीपरिषद :-

मंत्रीमण्डल ⇒ (एकबार) → अनु (352)

मंत्रीपरिषद्
- → कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री सहित)
- → उप मंत्री
- → राज्य मंत्री

सन् - 1861 में लार्ड केनिंग ने विभाजन

* राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

↳ एकही विभाग के कैबिनेट मंत्री और विल्ल मंत्री दोनों हों तथा यदि कैबिनेट मंत्री का पद रिक्त हो तो राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) होगा।

↳ 91वां C.A.A. 2003 के द्वारा मंत्रीपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सिटों का 15% होगा।

Max – $550 \times \frac{15}{100} = 82.....$ ⇒ 82

वर्तमान – $543 \times \frac{15}{100} = 81.0....$ ⇒ 81

⇒ **अनु० 78** : मंत्री परिषद (प्रधानमंत्री) का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य –

संघ के कार्यपालिका से सम्बंधित प्रशासनिक कार्य की सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है।

Presiden
सूच ← PM → मंत्रिपरिषद

महान्यायवादी : Atorny Gen. of India

अनु० 76 :- संघ को विधिक मामले में सलाह एवं सहायता देने के लिए संघ का एक महान्यायवादी होगा।

- यह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है।
- इसे वकीलों का वकील कहा जाता है।

योग्यता :- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को।

नियुक्ति :- राष्ट्रपति के द्वारा.

कार्यकाल :- 1 :- राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त होता है।

2 :- इससे पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकेगा।

कार्य / शक्ति :- ① यह भारत सरकार के पक्ष से सम्पूर्ण भारत क्षेत्र के किसी भी न्यायालय मे सुनवाई कर सकेगा।

(अनु. 88) ② संसद के किसी भी सदन का सदस्य नही होते हुए भी सदन की कार्यवाही मे भाग ले सकता है, चर्चा बहस कर सकता है, लेकिन विधेयक पर मतदान का अधिकार नही होगा।

प्रथम महान्यायवादी – M.C. शितलवाड़ – 1955

वर्तमान महान्यायवादी :- R. वेंकट रमणी

Controller and Auditour Gen. of. India.

नियन्त्रक महालेखा परिक्षक

CAG

- अनु- 148-151.

अनु०-148 :- संघ और राज्य दोनों के व्यय का लेखा रखने के लिए नियन्त्रक महालेखा परिक्षक होगा।

अनु-151 :- संघ के मामले मे यह अपनी Report राष्ट्रपति को, राज्य के मामले मे यह अपनी Report सम्बंधित राज्य के राज्यपाल को सौपेगा।

नियुक्ति :- राष्ट्रपति द्वारा.

कार्यकाल :

(दोनों में से जो पहले)

① 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक

② त्यागपत्र - राष्ट्रपति को सौंपेगा

③ साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा → संसद

↳ यह लोकलेखा समिति का मित्र, पथप्रदर्शक या अभिभावक है।

↳ CAG अध्यक्ष अपने पद से हटने के बाद संघ या राज्य सरकार के अधीन अन्य पद धारण नहीं करेगा।

प्रथम CAG अध्यक्ष :- V. नरहरी

वर्तमान - G.C. मुर्मु